



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांक:पं. 87 / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2022 / 351

दिनांक :- 10/05/2022

-:: कार्यालय आदेश ::-

Principal, Rungta Paramedical College, Plot no- 6-7, Akta Vihar, Paldimeena, Agra Road, Jaipur को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 791 दिनांक 11.04.2017 संस्थान को Diploma in Medical Lab. Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Emergency & Trauma Care Technology, Diploma in Orthopaedic Technology, Diploma in Radiation Technology, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटों की अस्थाई मान्यता दी गई थी।

संस्था/कॉलेज द्वारा स्वयं के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार Diploma in Emergency & Trauma Care Technology, Diploma in Orthopaedic Technology, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की आदेश क्रमांक 2369 दिनांक 09.08.2018 द्वारा 25 सीटों की मान्यता समाप्त की गई।

संस्थान का दिनांक 14.01.2021 को कराये गये निरीक्षण एवं पत्रावली के परीक्षण उपरान्त आपके संस्थान में पाई गयी कमियों के संबंध में इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 343 दिनांक 06.05.2022 दिया जाकर नोटिस में वर्णित निम्न बिन्दुओं पर व्यक्तिशः कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था।

1. Institute is run by Shree Shruti Education Foundation and owner of the land is Raslila Paper P.V.T., L.T.D. who is just a 10% shareholder of this foundation but as per RPMC act Institute should have own building after 5 years and therefor it should have own building after 10-04-2022.
2. Institute is not having own hospital/Lab as Rungta Hospital is not owned by this institute and owner of Rungta hospital is RMC Med. P.V.T, LTD.
3. Blue print of institute is not authentic and not varified by PWD
4. Certificate for clinical establishment act is Valid up to 22-11-2021.
5. Fire NOC, PC-PNDT certificate and AERB Certificate are not available.
6. only 10 faculty members are eligible as per norms against the requirement of 13 faculty members for total of 125 seats (DOTT, 25 seats, DMLT & DRT 50 Searts each)
7. Invoices of Sonography, CT-scan machine and X-rays machines are not available.

उपरोक्त नोटिस के लिखित जवाब संस्था के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि संस्थान को 05 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी संस्थान स्वयं के भवन में शिफ्ट करने में असफल रहा है, एवं संस्थान ने स्वयं के भूमि एवं भवन के लिये 01 वर्ष का समय चाहा गया। संस्थान के स्वयं के अस्पताल/लैब के संबंध में अवगत करवाया कि रूंगटा पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर श्रीश्रुति एज्युकेशन फाउण्डेशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है एवं रूंगटा अस्पताल आर.एम.सी. मेड लि. द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई एवं उपलब्ध रिकार्ड, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान/कॉलेज को मान्यता के 05 वर्ष होने के उपरान्त भी संस्थान का स्वयं के भवन में शिफ्ट नहीं किया गया है, तथा चिकित्सालय भी आर.एम.सी. मेड लि. द्वारा संचालित होने के कारण रूंगटा पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर का स्वयं का नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर संस्थान का स्वयं की भूमि एवं चिकित्सालय प्रमाणित नहीं हो सका है, इसलिए बिन्दु संख्या 3,4,5,7 में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्यों की कोई आवश्यकता नहीं है।

कृ.पृ.उ.



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

उपरोक्त विवेचन के आलोक में रूंगटा पैरामेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम/विनियम 2014, 2015 के Part XV Rule 53 (1) A एवं 53 (1) D(i) में Clinical facility हेतु The Institution should have own Hospital/Lab के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से आगामी शैक्षणिक सत्रों के लिये Diploma in Medical Lab. Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Radiation Technology, पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)

R.A.S.

रजिस्ट्रार

दिनांक:- 10/05/2022

क्रमांक:पं. 87 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 351

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव/अध्यक्ष Raslila Paper PVT. LTD./ Shree Shruti Education Foundation (Rungta Paramedical College, Plot no- 6-7, Akta Vihar, Paldimeena, Agra Road, Jaipur).
2. प्रधानाचार्य, Rungta Paramedical College, Plot no- 6-7, Akta Vihar, Paldimeena, Agra Road, Jaipur.
3. लेखा/मान्यता/काउन्सिलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार